FSSAI मसौदा अधिसूचना

सन्दर्भ

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबलिंग पर एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, जो स्वास्थ्य स्टार-रेटिंग प्रणाली पर आधारित "भारतीय पोषण रेटिंग" (INR) का प्रस्ताव करती है।

प्रमुख बिंदु

• इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उच्च नमक, वसा और चीनी वाली वस्तुओं की जानकारी देना और उन्हें खरीदते समय उन्हें सूचित विकल्प बनाने की अनुमति देना है।
• ठोस और तरल खाद्य पदार्थों की प्रति 100 ग्राम सर्विंग्स में ऊर्जा और संतृप्त वसा, चीनी, सोडियम, फल, सब्जियां, नट्स, फलियां, बाजरा, आहार फाइबर, और प्रोटीन की सामग्री के आधार पर वस्तुओं को अंक दिए जाने का प्रस्ताव है।
• आईएनआर प्रणाली पैकेज्ड भोजन के लिए समग्र पोषण प्रोफाइल को 1/2 स्टार (कम से कम स्वस्थ) से 5 स्टार (स्वास्थ्यप्रद) तक रेटिंग देकर रेट करती है। अधिक सितारे इंगित करते हैं कि खाद्य उत्पाद पोषक तत्वों की दैनिक मानव आवश्यकता को पूरा करने के लिए बेहतर स्थिति में है।
• लोगो को पैक के सामने उत्पाद के नाम या ब्रांड नाम के निकट ही प्रदर्शित किया जाएगा।
• दुग्ध उत्पाद, वनस्पति तेल, वसा, ताजे और जमे हुए फल, सब्जियां, मांस, अंडे, मछली, आटा, और मिठास जैसी वस्तुओं को रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। निर्माताओं को अपनी वस्तुओं के लिए उपयुक्त लोगो के लिए FSSAI पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

एफएसएसएआई के बारे में

• एफएसएसएआई की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक, 2006 के तहत की गई है, जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अब तक खाद्य संबंधी मुद्दों को संभालने वाले विभिन्न कृत्यों और आदेशों को समेकित करती है।
• खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए FSSAI बनाया गया है।
• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एफएसएसएआई के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय है।
• अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव के पद का होता है।

आभासी शव परीक्षा

सन्दर्भ

कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का पोस्टमार्टम हाल ही में 'वर्चुअल ऑटोप्सी' नामक एक नई ऑटोप्सी तकनीक का उपयोग करके किया गया था।

प्रमुख बिंदु

• यह उच्च तकनीक वाले एक्स-रे और सीटी स्कैन का उपयोग करती है और इसमें कोई विच्छेदन शामिल नहीं है।
• शव परीक्षण या पोस्टमार्टम प्रक्रिया मृत्यु के कारण और तरीके को निर्धारित करने के लिए एक मृत शरीर और सभी आंतरिक अंगों की गहन जांच है।
• 3डी दृश्य इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए एक्स-रे, एमआरआई और सीटी स्कैन की सहायता से प्राप्त किया जाता है।
• यह चिकित्सकों को मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए शरीर की रक्त वाहिकाओं, अंगों, हड्डियों और ऊतकों का बारीकी से अध्ययन करने की अनुमति देता है।

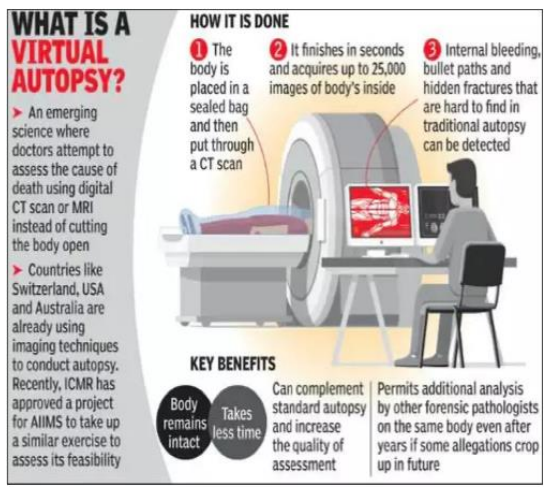

महत्व

• वर्चुअल ऑटोप्सी की मदद से, रक्तस्राव के साथ-साथ हेयरलाइन या हड्डियों में चिप फ्रैक्चर जैसे छोटे फ्रैक्चर का भी पता लगाया जा सकता है जो कि एंटीमॉर्टम चोटों के संकेत हैं और उन्हें एक्स-रे फिल्मों के रूप में भी प्रलेखित किया जा सकता है।
• इसमें समय भी कम लगता है।

मवेशी नियंत्रण विधेयक

सन्दर्भ

गुजरात विधानसभा ने हाल ही में सर्वसम्मति से राज्य के शहरी क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक को वापस ले लिया।

प्रमुख बिंदु

• बिल में यह अनिवार्य किया गया है कि पशुपालकों को शहरों और कस्बों में आवारा गायों और सांडों जैसे जानवरों को रखने और उन्हें टैग करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है, ऐसा न करने पर उन्हें पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

• बिल में यह अनिवार्य किया गया है कि अपने मवेशियों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, मालिक को मवेशियों को टैग करवाना होगा और मवेशियों को सड़कों या शहर के किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोकना होगा।

मवेशी टैगिंग

• अगर मालिक 15 दिनों में अपने मवेशियों को टैग करने में विफल रहता है, तो उसे बिल के प्रावधानों के अनुसार कारावास से दंडित किया जाएगा जो एक साल तक बढ़ सकता है या ₹10,000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
• शहरों में गैर-निर्दिष्ट क्षेत्रों में मवेशियों के लिए चारे की बिक्री भी विधेयक के तहत प्रतिबंधित है क्योंकि यह सार्वजनिक स्थानों और विशेष रूप से सड़कों पर उपद्रव पैदा करता है।
• इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति जो अधिकारियों के साथ मारपीट करता है या नागरिक अधिकारियों द्वारा मवेशी पकड़ने के संचालन के दौरान बाधा उत्पन्न करता है, उसे एक साल की कैद और न्यूनतम 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
• टैग के बिना मवेशियों को जब्त कर लिया जाएगा और अधिकारियों द्वारा एक स्थायी शेड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और ₹ 50,000 का जुर्माना देने के बाद ही इन्हे रिहा किया जाएगा।

ड्वोरक तकनीक

सन्दर्भ

हाल ही में, अमेरिकी मौसम विज्ञानी वर्नोन ड्वोरक का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

तकनीक के बारे में

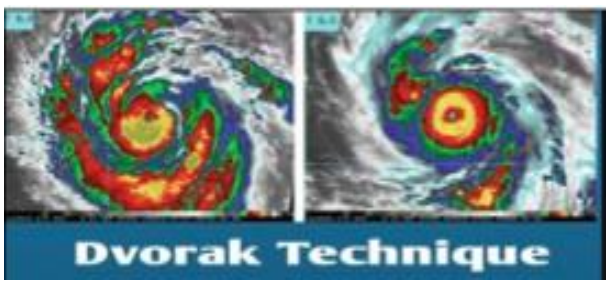

• सबसे पहले 1969 में वर्नोन ड्वोरक द्वारा विकसित, सांख्यिकीय तकनीक (दो-रक के रूप में पढ़ी गई) का उपयोग अब तक चक्रवात की तीव्रता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।
• पूर्वानुमानकर्ताओं ने विकासशील उष्णकटिबंधीय तूफानों (तूफान, चक्रवात और आंधी) की विशेषताओं की जांच के लिए ध्रुवीय परिक्रमा करने वाले उपग्रहों से प्राप्त छवियों का उपयोग किया।
• दिन के समय, दृश्य स्पेक्ट्रम में छवियों का उपयोग किया जाता है जबकि रात में, समुद्र को अवरक्त छवियों का उपयोग करके देखा जाएगा।
• छवियों से, पूर्वानुमानकर्ता उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास और क्षय के अवधारणा मॉडल के आधार पर बादल , तूफान की संरचना, केंद्र की स्थिति और इसकी तीव्रता को पहचानते हैं।

तकनीक का महत्व

• विशेषज्ञों के अनुसार, हालांकि इस तकनीक के द्वारा, हवा, दबाव या चक्रवात से जुड़े किसी भी मौसम संबंधी पैरामीटर की भविष्यवाणी या माप नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी यह महत्वपूर्ण तकनीक है।
• तकनीक के प्रयोग से प्राप्त अनुमानित गहनता परिणाम स्थानीय प्रशासन के लिए तटीय या आसपास के अन्य निवासियों के निकासी उपायों की योजना बनाने में महत्वपूर्ण है, इस प्रकार लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है।
• वैज्ञानिकों को अभी भी महासागरों के मामले में टिप्पणियों को रिकॉर्ड करने के लिए उपग्रह आधारित छवियों पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि समुद्र के विशाल क्षेत्रों को कवर करने के लिए तैनात प्लव या समर्पित जहाज पर्याप्त नहीं हैं।
• हाल ही में एक सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद, इस तकनीक को नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) द्वारा एडवांस्ड ड्वोरक टेक्नीक (एडीटी) नाम दिया गया है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)

सन्दर्भ

एनआईए ने हाल ही में कई राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े परिसरों की तलाशी ली।

प्रमुख बिंदु

• एनआईए ने 15 राज्यों केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, बिहार और मणिपुर में 93 स्थानों पर तलाशी ली।
• ये तलाशी पीएफआई के शीर्ष नेताओं और सदस्यों के घरों और कार्यालयों पर एनआईए द्वारा दर्ज पांच मामलों के संबंध में की गई थी, जो लगातार इनपुट और सबूतों के बाद दर्ज किए गए थे कि पीएफआई नेता और कैडर आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण में शामिल थे यह आतंकवाद प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित कर रहे थे। जहाँ सशस्त्र प्रशिक्षण प्रदान कर लोगों को प्रतिबंधित संगठनों में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है।

एनआईए के बारे में

• एनआईए भारत की प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कार्यबल है।
• एजेंसी को गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच से निपटने का अधिकार है।
• नई दिल्ली में मुख्यालय, एनआईए की हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लू कोनो, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, जम्मू अम्मू, चंडीगढ़, रांची, चेन ऐ और इंफाल में शाखाएं हैं।

वाणिज्यिक पत्र

सन्दर्भ

सेबी ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) को वाणिज्यिक पत्र जारी करने की अनुमति दी है।

प्रमुख बिंद

• भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले महीने संकेत दिया था कि कम से कम 100 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति वाले InvIT और REIT वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए पात्र हैं।
• एक वाणिज्यिक पत्र एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है जो अल्पावधि उधार लेने के लिए वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है (7 दिन - 1 वर्ष)।
• इसे 1990 में एक निजी तौर पर रखे गए साधन के रूप में पेश किया गया था ताकि उच्च श्रेणी के कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को अल्पकालिक उधार के अपने स्रोतों में विविधता लाने में सक्षम बनाया जा सके।
• सीपी पर परिचालनात्मक दिशानिर्देश फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा जारी किए जाते हैं।

जारी करने के लिए कौन पात्र है?

• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई)।
• सहकारी समितियों/संघों, सरकारी संस्थाओं, ट्रस्टों, सीमित देयता भागीदारी और भारत में मौजूद कोई अन्य कॉर्पोरेट निकाय जिसकी कुल संपत्ति ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक है।
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा विशेष रूप से अनुमत कोई अन्य संस्था।

सीपी की अनिवार्य विशेषताएं

• यह एक वचन पत्र के रूप में जारी किया गया और सेबी द्वारा अनुमोदित और पंजीकृत किसी भी डिपॉजिटरी के माध्यम से डीमैट रूप में रखा जाता है।
• न्यूनतम मूल्यवर्ग ₹ 5 लाख और उसके गुणकों में जारी किया जाता है।
• अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है।
• किसी भी जारीकर्ता के पास सीपी का मुद्दा अंडरराइट या सह-स्वीकृत नहीं होता है।
• सीपी पर ऑप्शन (कॉल/पुट) की अनुमति नहीं है।

महारत्न स्थिति

सन्दर्भ

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) लिमिटेड सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद 12वां महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (पीएसई) बन गया है।

आरईसी के बारे में

• 1969 में निगमित, आरईसी एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
• यह राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य बिजली उपयोगिताओं, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र की उपयोगिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
• यह केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं - डीडीयूजीजेवाई, सौभाग्य और पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) की नोडल एजेंसी है।
• केंद्र इसे विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) का दर्जा देने पर भी विचार कर रहा है ताकि यह वैश्विक जलवायु वित्त पोषण और देश में शुद्ध शून्य निवेश को चलाने में सक्षम हो सके।

महारत्न स्थिति के लाभ

• वित्तीय निर्णय लेने के लिए कंपनी के बोर्ड को बढ़ी हुई शक्तियां और स्वायत्तता मिलती है।
• बोर्ड निम्नलिखित कार्य करने के लिए भारत और विदेशों में इक्विटी निवेश कर सकता है:
वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां।
विलय और अधिग्रहण।
• हालांकि, निवेश संबंधित सीपीएसई के निवल मूल्य के 15% की उच्चतम सीमा के अधीन होगा, जो एक परियोजना में ₹5,000 करोड़ तक सीमित होगा।
• बोर्ड कर्मियों और मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं की संरचना और कार्यान्वयन कर सकता है।
• यह प्रौद्योगिकी संयुक्त उपक्रमों या अन्य रणनीतिक गठबंधनों में भी प्रवेश कर सकता है।

महारत्न बनने के लिए पात्रता मानदंड

- पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनी का औसत वार्षिक कारोबार (Average annual turnover) 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का होना चाहिए.
- पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनी की कुल औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए.
- पिछले 3 वर्षों के दौरान 'कर चुकाने' के बाद कंपनी का कुल लाभ 5,000 करोड़ रुपये से अधिक होना चाहिए.
- कम्पनी को भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत होना चाहिए और सेबी द्वारा तय की गयी सीमा के हिसाब से कुछ शेयर आम लोगों के पास होने चाहिए.

अन्य महारत्न

• पावर फाइनेंस कार्पोरेशन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।

• इसके अलावा, भारत में 13 नवरत्न और 74 मिनीरत्न सीपीएसई हैं।

अन्य महत्त्वपूर्ण खबरें

पुनीत सागर अभियान

सन्दर्भ

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

प्रमुख बिंदु

• इसका उद्देश्य 'पुनीत सागर अभियान' और 'टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम' के माध्यम से स्वच्छ जल निकायों के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करना है।

• पुनीत सागर अभियान एनसीसी द्वारा दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था:
समुद्र तटों / समुद्र तटों और नदियों और झीलों सहित अन्य जल निकायों को प्लास्टिक और अन्य कचरे से साफ करने के लिए।
'स्वच्छ भारत' के बारे में स्थानीय आबादी के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए।
COP26, ग्लासगो के दौरान संदर्भित भारत के 'पंचामृत' दृष्टिकोण को साकार करने के लिए।

• प्लास्टिक टाइड टर्नर चैलेंज (पीटीटीसी) यूएनईपी के नेतृत्व वाली एक पहल है जो दुनिया भर के युवाओं को प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में शिक्षित करती है।

भारत का पंचामृत विजन

• गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 2030 तक 500 गीगावाट तक करना ।
• 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा के साथ पूरा करना ।
• 2030 तक इसके अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करना।
• 2030 तक इसकी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करना।
• 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करें।

घाटा बैंकिंग तरलता

सन्दर्भ

मई 2019 के बाद पहली बार, बैंकिंग प्रणाली की तरलता की स्थिति 20 सितंबर, 2021 को 6.7 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष के मुकाबले 20 सितंबर, 2022 को 21,873.4 करोड़ रुपये के घाटे के मोड में बदल गई।

बैंकिंग प्रणाली में तरलता क्या है?

• बैंकिंग प्रणाली में तरलता का तात्पर्य आसानी से उपलब्ध नकदी से है जो बैंकों को अल्पकालिक व्यापार और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए।

• किसी दिए गए दिन, यदि बैंकिंग प्रणाली तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत आरबीआई से एक शुद्ध उधारकर्ता है, तो सिस्टम की तरलता को घाटे में कहा जा सकता है। यदि बैंकिंग प्रणाली आरबीआई के लिए एक शुद्ध ऋणदाता है, तो सिस्टम तरलता को अधिशेष में कहा जा सकता है। एलएएफ आरबीआई के संचालन को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से यह बैंकिंग प्रणाली में या उससे तरलता को इंजेक्ट या अवशोषित करता है।

घाटे का कारण क्या है?

• बैंक ऋण में वृद्धि, कार्पोरेटों द्वारा अग्रिम कर भुगतान, विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप, और ऋण की मांग के साथ तालमेल नहीं रखते हुए वृद्धिशील जमा वृद्धि भी घाटे का कारण है।

चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद

सन्दर्भ

लंबे समय से मांग की जा रही और अनुरोधित चिकित्सा उपकरण निर्यात संवर्धन परिषद को अंततः फार्मास्युटिकल विभाग, डीओपी, सरकार के तत्वावधान में बनाने की मंजूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

• इसका मुख्यालय नोएडा में होगा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसके कार्यालय होंगे।

• परिषद निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

• भारतीय चिकित्सा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

• यह रणनीतिक कदम चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र के निर्यात और विनिर्माण विकास में तेजी लाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। भारत वर्तमान में 23,766 करोड़ (2021-22) रुपये का चिकित्सा उपकरण निर्यात करता है जो पिछले वर्ष 19,736 करोड़ रुपये से अधिक है।

• महत्व: चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, वैश्विक बाजार के लिए चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए 80,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ दुनिया भर में चिकित्सा उपकरणों के शीर्ष 5 पसंदीदा आपूर्तिकर्ता देशों में से एक होने के भारत के प्रयास को विशाल निर्यात क्षमता और निवेश क्षमता को बनाने के लिए समन्वित अंतर-मंत्रालयी नीतिगत उपायों को लाने में मदद करेगा।

MCQ, **Current Affairs**, **Daily Pre Pare**